

भाग—II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)


प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्रभावित लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन कि०मी०1030/10 से कि०मी० 1030/11 के मध्य ग्राम मगहुआ में संरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश	उ०प्र०
(ii) जिला	लखनऊ
(iii) वन प्रभाग	अवध वन प्रभाग, लखनऊ
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.4560
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये (सिंचाई/जलीय प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-४ मी० भी संलग्न की जायें।	वृक्ष प्रभावित नहीं है।
(vii) वनस्पति का घनत्व	0.3
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण नहीं है, प्रमाण पत्र संलग्न है
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्तर की वन सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हो तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणिया संलग्न करें)।	नहीं है
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुलर्म/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां तो तत्त्व सम्बन्धित व्यौरा दें ?	नहीं है
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वी पारस्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान / कोई और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं यदि हां तो तत्सम्बन्धित व्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता प्रयोजना के लिए अपिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के व्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	हाँ न्यूनतम् है
9. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हो/नहीं) यदि हां, तो किए गये कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्यौरा दें, उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी चल रहे हैं।	नहीं है
10. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के व्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का अंक	भूखण्ड-1
(ii), प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है
(iii) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	नीम, शीशम, जामुन, कंजी आदि
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन०पी०वी०)	0.4560 हेठो वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रु० 626000.00 की दर से रु० 285456.00 व्यय आयेगा।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रभावित वन भूमि 0.4560 के बदले अन्य वन प्रभागों में वृक्षारोपण किया जाना है।
11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	संलग्न है।
12. प्रभाग / जिला प्रोफाईल :	अवध वन प्रभाग, लखनऊ / लखनऊ


(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	252800 हेक्टर
(ii) जिले का वन क्षेत्र	10327.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन
(iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	88 मामले 252.6415 हेक्टर
(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	
(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	293.48 हेक्टर
(ख) वनेतर भूमि	5.27 हेक्टर
(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
(क) वनभूमि	114.42 हेक्टर व 9762 ब्रिकगार्ड व आयरन ट्रीगार्ड
(ख) वनेतर भूमि	5.27 हेक्टर
13. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- .2017

स्थान:- लखनऊ।


 (आर०क० सिंह)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 मोहनलालगंज।


 (अयोध्या प्रसाद)
 उप प्रभागीय वनाधिकारी,
 मोहनलालगंज।


 (मनोज कुमार सोनकर)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अवध वन प्रभाग, लखनऊ।